क्रम-संख्या--209

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

U.P. Ordinance No. 11 of 1999

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 जुलाई, 1999

श्रावण 6, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1542/सत्रह वि-1-1 (क)-24-1999

लखनऊ, 28 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 27 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

"उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999"

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 9 नवम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,

चतुर्थ अनुसूची में,—

(क) अनुच्छेद—एक में, शब्द "मेरठ और" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद—दो में, खण्ड (क) में,—

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिए गए अंक "140.00" के स्थान पर अंक "133.00" रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिये गये अंक "177.00" के स्थान पर अंक "169.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिए गए अंक "223.00" के स्थान पर अंक "214.00" रख दिये जायेंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिए गए अंक "280.00" के स्थान पर अंक "267.00" रख दिये जायेंगे;

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिये गए अंक "364.00" के स्थान पर अंक "347.00" रख दिये जायेंगे;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिए गए अंक "447.00" के स्थान पर अंक "428.00" रख दिये जायेंगे;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिए गए अंक "559.00" के स्थान पर अंक "534.00" रख दिये जायेंगे;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिए गए शब्द और अंक "559.00 और प्रत्येक 4500 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 140.00 रुपया" के स्थान पर शब्द और अंक "534.00 और प्रत्येक 4500 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 133.00 रुपया" रख दिये जायेंगे।

(ग) अनुच्छेद—तीन निकाल दिया जायगा।

(घ) (एक) स्पष्टीकरण (1) में शब्द "अनुच्छेद एक, दो, तीन" के स्थान पर शब्द "अनुच्छेद एक, दो" रख दिये जायेंगे;

(दो) स्पष्टीकरण (2) में शब्द "अनुच्छेद एक, दो, तीन" के स्थान पर शब्द "अनुच्छेद एक, दो" रख दिये जायेंगे;

(तीन) स्पष्टीकरण (11) निकाल दिया जायगा।

भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की अधिक धनराशि का समायोजन

3—किसी यान के सम्बन्ध में, मूल अधिनियम के अधीन भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की धनराशि, जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर देय अतिरिक्त कर से अधिक होगी, वह यथास्थिति, अगली तिमाही या माह के लिए उस यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर के प्रति समायोज्य होगी।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 1542(2)/XVII-V-1—1(KA)-24-1999

Dated Lucknow, July 28, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Yan Karadhan (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 27, 1999.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. Act no. 30 of 1999)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 9, 1998.

Amendment of the fourth schedule U. P. Act no. 21 of 1997

2. In the Fourth Schedule to the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in Article—I, the words "Meerut and" shall be *omitted*.

(*b*) in Article—II, in clause (*a*),—

(*i*) *for* figure "140.00" appearing in column 3 against serial number 1, the figure "133.00" shall be *substituted*;

(*ii*) *for* figure "177.00" appearing in column 3 against serial number 2, the figure "169.00" shall be *substituted*;

(*iii*) *for* figure "223.00" appearing in column 3 against serial number 3, the figure "214.00" shall be *substituted*;

(*iv*) *for* figure "280.00" appearing in column 3 against serial number 4, the figure "267.00" shall be *substituted*;

(*v*) *for* figure "364.00" appearing in column 3 against serial number 5, the figure "347.00" shall be *substituted*;

(*vi*) *for* figure "447.00" appearing in column 3 against serial number 6, the figure "428.00" shall be *substituted*;

(*vii*) *for* figure "559.00" appearing in column 3 against serial number 7, the figure "534.00" shall be *substituted*;

(*viii*) *for* words and figures "559.00 plus Rs. 140.00" appearing in column 3 against serial number 8, the words and figures "534.00 plus Rs. 133.00" shall be *substituted*.

(*c*) Article—III shall be *omitted*.

(*d*) (*i*) in Explanatian (1) *for* the word and figures "Articles I, II, III" the words and figures "Articles I, II" shall be *substituted*.

(*ii*) in Explanation (2) *for* the word and figures "Articles I, II, III," the word and figures "I, II" shall be *substituted*.

(*iii*) Explanation (11) shall be *omitted*.

Adjustment of the excess amount of additional tax paid

3. The amount of additional tax paid under the principal Act, in respect of a vehicle in excess of the amount of additional tax payable at the rate specified in the Fourth Schedule to the principal Act as amended by this Act shall be adjustable towords the additional tax that may

be payable in respect of the vehicle for the quarter or month, as the case may be next following.

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 88 सा० विधा०--(300)--1999-850 (मेक०)।